इण्डिया के फ्लाइट संख्या ए०आई० 102 द्वारा भारत लौटे । बम्बई पहुंचने पर यह पता चला कि उनके पास पीत ज्वर के टीके का प्रमाण पत्र नहीं है । सूरीनाम से आने वाले यात्रियों के पास इस प्रमाण पत्र का होना जरूरी होता है । चूंकि उन्हें शीघ्र ही नई दिल्ली रवाना होना था इसलिए एयर क्राफ्ट के फ्यूमिगेशन आदि आवश्यक पूर्व-सतर्कता उपाय करने के बाद उन्हें आई०ए०सी० फ्लाइट संख्या आई०सी० 185 से नई दिल्ली आने की अनुमति प्रदान कर दी गई । नई दिल्ली पहुंचने के उपरान्त मंत्री तथा उनके दल को भारतीय टेलीफोन उद्योग के गेस्ट हाउस में 26 अगस्त, 1977 तक समुचित देखरेख और क्वारण्टीन की दशाओं में क्वारण्टीन किया गया ।

26 अगस्त, 1977 को क्वारण्टीन से छूटने के समय इस दल के सदस्यों को उनके अपने ही अनुरोध पर पीत ज्वर का टीका लगा दिया गया ।

जैसा कि इस समाचार में आरोप लगाया गया है, यह कहना सही नहीं है कि श्री वर्मा और अन्य दो अधिकारियों ने एक "इण्टरप्राइजिंग ट्रेवल एजेन्ट के माध्यम से हैजा और चेचक के टीके की मुहर वाले स्वास्थ्य दस्तावेज प्राप्त किए थे । बाद में श्री वर्मा ने भी एक प्रेस नोट में यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने किसी भी यात्रा एजेन्ट के माध्यम से ये कागजात प्राप्त नहीं किए थे । इस दल के पास हैजा और चेचक के टीके के सही प्रमाणपत्र मौजूद थे । यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि उन में से सभी व्यक्तियों ने आवश्यक टीके लगवाए हुए थे ।

भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कागजातों की हवाई अड्डे के स्वास्थ्य कर्मचारी जाच-पड़ताल नहीं करते हैं । यह जांच-पड़ताल केवल भारत में आने वाले यात्रियों की ही की जाती है । फिर भी यात्रा एजेंटो तथा एयरलाइन्स के कर्मचारियों के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वे टिकट देते समय यदि कोई यात्री जानकारी लेना चाहे तो यात्रियों को यहां से जाने और वापसी यात्राओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी अपेक्षाओं के बारे में उसी प्रकार समझायें जैसा कि वे विदेशी मुद्रा विनियमों आदि के बारे में यात्रियों को समझाते हैं ।

क्वारण्टीन में रखे व्यक्तियों के भोजन के सम्बन्ध में कोई विशेष सावधानी नहीं बरती जाती है । क्वारण्टीन में रखे लोगों को भोजन क्वारण्टीन क्षेत्र के बाहर रहने वाले उनके अपने मित्र तथा सम्बन्धी भी पहुंचा सकते है । तथापि यदि यात्रियों द्वारा अपने आप कोई व्यवस्था न की गई हो तो उन्हें दिल्ली एयर पोर्ट का शेफेयर रेस्तरां प्रथम श्रेणी के यात्रियों के मीनू के स्टैन्डर्ड के मुताबिक भोजन देता है । इस प्रकार क्वारण्टीन अस्पताल मे केवल ठहरने के लिए कोई दाम नही लिए जाते है, बल्कि जो दाम लिये जाते है वे भोजन और अन्य सेवाओ के लिए, लिए जाते हैं ।

समाचार में पीत ज्वर के बारे में जो संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है वह मोटे तौर पर ठीक ही है ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report (1976-77) and Accounts of the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri and related Papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): Sir, on behalf of Shri H. N. Bahuguna, I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(i) Twenty-third Annual Report and Accounts of the Hindustan

Antibiotics Limited, Pimpri, for the year 1976-77, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Company.

[Placed in Library. *See* No. LT-1487/77 for (i) and (iii)].

Report (1975-76) and Accounts of the Tannery and Footwear Corporation of India Limited, Kanpur and Related Papers

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): Sir, I beg to lay on the Table:

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Seventh Annual Report and Accounts of the Tannery and Footwear Corporation of India Limited, Kanpur, for the year 1975-76, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Corporation.

II. A statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at I above.

[Placed in Library. *See* No. LT-1468/77 for I and II.]

I. Report (1976-77) and Accounts of the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi and Related Papers

II. The Central Electricity Authority Rules, 1977

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): Sir, I beg to lay on the Table:

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Eighth Annual Report and Accounts of the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, for the year 1976-77, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Corporation.

[Placed in Library. *See* No. LT-1470/77 for (i) and (ii)].

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Energy (Department of Power) Notification G.S.R. No. 1662, dated the 10th December, 1977, publishing the Central Electricity Authority Rules, 1977, under sub-section (3) of section 4B of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1976. [Placed in Library. *See* No. LT-1469/77].

Report, (1976) and Accounts of the United India Fire and General Insurance Company Limited Madras and Related Papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): Sir, I beg to lay on the Table:

I. A copy each of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:

(i) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the United India Fire and General Insurance Company Limited, Madras, for the year ended, the 31st December, 1976, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Statement (in English and Hindi) by Government accepting the above Report.